

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा—आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक—

विषय:— षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कर्णांकित राज्य वित्त आयोग की प्रथम किस्त की राशि में से नवगठित नगर पंचायत, मधुबन एवं नगर पंचायत, जम्होर हेतु कर्णांकित राशि ₹15.97642 लाख (पन्द्रह लाख सत्तानवे हजार छह सौ बयालीस रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के नगर पंचायत, पकड़ीदयाल को सहायक अनुदान के रूप में राशि विमुक्त करने की स्वीकृति।

आदेश:— स्वीकृत।

नवगठित नगर पंचायत, मधुबन वर्तमान में नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के साथ एवं नवगठित नगर पंचायत, जम्होर वर्तमान में नगर परिषद, औरंगाबाद के साथ सम्बद्ध है। नवगठित नगर पंचायत, मधुबन एवं नवगठित नगर पंचायत, जम्होर का पी०एल० खाता खुलने की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। नवगठित नगर निकाय में साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु राशि आवंटित किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कर्णांकित राज्य वित्त आयोग की प्रथम किस्त की राशि में से नवगठित नगर पंचायत, मधुबन एवं नवगठित नगर पंचायत, जम्होर हेतु कर्णांकित राशि ₹15.97642 लाख (पन्द्रह लाख सत्तानवे हजार छह सौ बयालीस रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगर पंचायत, मधुबन की राशि नगर पंचायत, पकड़ीदयाल को एवं नगर पंचायत, जम्होर की राशि नगर परिषद, औरंगाबाद को सहायक अनुदान के रूप में निम्न तालिका के स्तम्भ-7 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	पी०एल० खाता	HOA संख्या	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है		कुल निकासी की जाने वाली कुल राशि
				31.04	31.05	
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	ECHPLA004	00-8448-00-102-0003-00-01	4,18,491.00	4,18,491.00	8,36,982.00
2	नगर परिषद, औरंगाबाद	ARDPLA007	00-8448-00-102-0002-00-01	3,80,330.00	3,80,330.00	7,60,660.00
योग				7,98,821.00	7,98,821.00	15,97,642.00

3. उक्त स्वीकृत ₹15.97642 लाख (पन्द्रह लाख सत्तानवे हजार छह सौ बयालीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर पंचायत के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. स्वीकृत कुल राशि ₹15.97642 लाख (पन्द्रह लाख सत्तानवे हजार छह सौ बयालीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष-0005-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान-विपत्र कोड-48-2217801930005 अंतर्गत विषय शीर्ष-31.04 से ₹7.98821 लाख (सात लाख अट्ठानवे हजार आठ सौ इक्कीस रु०) मात्र एवं विषय शीर्ष-31.05 से ₹7.98821 लाख (सात लाख अट्ठानवे हजार आठ सौ इक्कीस रु०) मात्र की निकासी की जाएगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल एवं नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-2ब०/वि०आ०-25-04/2021-3201, दिनांक-02.11.2022 द्वारा निर्गत षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के व्यय हेतु मार्गदर्शिका के अनुरूप नवगठित नगर पंचायत, मधुबन एवं नवगठित नगर पंचायत, जम्होर के लिए किया जायेगा।

6. स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-2ब०/वि०आ०-25-04/2021-3201, दिनांक-02.11.2022 द्वारा निर्गत षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के व्यय हेतु मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही सामान्य निधि की राशि का व्यय हेतु निम्न निदेश का अनुपालन किया जायेगा:-

- (i) नगर निकाय कर्मियों के सेवांत लाभ के भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें भी जो मामले माननीय न्यायालय के न्यायादेश से अच्छादित है, उनको उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ii) यह भी कि उपरोक्त सेवांत लाभ संबंधी भुगतान पूरा हो जाने के बाद ही पी०एल० खाता के सामान्य निधि से अन्य मदों में भुगतान के लिए विपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को कोषागार में इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त

विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

8. प्रस्ताव में वित्त एवं नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-Y/14/2026-SEC_2-UDHD DEPT के Note#-.....०५..... पर दिनांक-18.08.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note#-.....०२..... पर दिनांक-20.08.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- Y/14/2026-SEC_2-UDHD DEPT 148 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक 24/08/26

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रबंधक एम०आई०एस० को सभी नगर निकायों को सूचित एवं अनुश्रवण करने हेतु/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।